विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 265 / वि.स. / 2025 अटल नगर, दिनांक 21 / 2 / 2025

प्रति,

1. **रजिस्ट्रार,**
   छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
   रायपुर

2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

विषयः– **विधानसभा प्रश्न कमांक 735 तारांकित द्वारा श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल सदस्य विधानसभा।**

––00––

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न कमांक 735 तारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित दिनांक 24.02.2025 तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल **(dirfood.cg@nic.in/directorateoffood @gmail.com)** के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक–266 / वि.स. / 2025 अटल नगर, दिनांक 21 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **04/03/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **11/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लघंन तथा भ्रामक विज्ञापन संबंधित दर्ज मामले**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **735**) **श्रीमतीहर्षिता स्वामी बघेल**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2023 से केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के तहत् उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लघंन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं? दर्ज मामलों पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, जिलेवार, जानकारी देवें ? (ख) कोचिंग संस्थाओं द्वारा भ्रामक सूचना के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए क्या-क्या नियम और कानून बनाये गये हैं ? जिला राजनांदगांव में क्या ऐसे प्रकरणों में जॉचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया ? ऐसे कितने प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये ? दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 21/02/2025 11:22:39 |

Remark :

विधानसभा को उत्तर भेजने की अंतिम तिथि और समय : 04/03/2025 23:59:00
उत्तर भेजने के लिए शेष समय : 11 दिन : 10 घंटे : 28 मि. : 39 से.

Reply To vidhan | Forward | Request To Vidhan Sabha

Offices Reply Detail (आपके कार्यालयों के उत्तर) :

समस्त कलेक्टर
रजिस्ट्रार उपभोक्ता आयोग